

368/6910/2  
31/2/20

855

31/20

## फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो। शोलाला पुजापाति
2. वर्तमान धारित पद उपसाचिव
3. वर्तमान वेतन 7800. 80, 3.00 + 100. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्रामपाली, तहसील जिला राहडाल पंचायती अधिकारी - 25X40 एकड़ी गोपाली - गोपाली अधिकारी - 25X40 एकड़ी गोपाली अधिकारी - 25X40 एकड़ी	कुषिभूमि 2.5 एकड़ी लगभग 13.5 एकड़ी एक भूमि गोपाली अधिकारी - 25X40 एकड़ी	— — — —	— — — —	— ग्रामपाली गोपाली एक भूमि के बत्तें वर्तमान पर 2.22 वर्ग कि. से लोन के बादवाल संकेत	— पत्रक —	NIL NIL	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर .....  
नाम शोलाला पुजापाति  
पद उपसाचिव